न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 32/2016

राजस्थान सरकार जरिये — बनाम — गैरसायल

पटवारी हल्का गजापुरा — श्री केरा , पुत्र दरगा

जाति कलबी निवासी बिकनवास

निर्णय — दिनांकः–13.10.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा नंबर 166/558 रकबा 0.09 हेक्टर किस्म गै.मु. ओरण में अनाधिकृतरूप से मकान बनाकर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा बिकनवास के खसरा,नंबर 166/558 रकबा 0.09 हेक्टर किस्म गै.मु. ओरण .अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3)के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 0.54 का 50 गुणा रू0 336 (27)/– अक्षरे सत्ताईस रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा पटवारी हल्का के अतिक्रमियों भौतिकरूप से बेदखल करने एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु जिखा जावें निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार जसवन्तपुरा

तहसीलदार ,जसवंतपुरा